11

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – मुरैना

प्रकरण कमांक निग0 3744–दो/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, सबलगढ़ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 1/2012–13/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 28–8–14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा नायब तहसीलदार ने आवेदकों की आपत्ति निरस्त की गई है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण धारा 250 का है । विचारण न्यायालय ने आवेदकों की आपत्ति को इस आधार पर निरस्त किया है कि यदि उन्हें सीमांकन पर आपत्ति थी और उनको नहीं सुना गया था तो तत्काल उन्हें सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर चुनौती देना चाहिए थी और ऐसा न करने के कारण उन्होंने आपत्ति को निरस्त किया है । प्रकरण में अभी गुणदोष पर कोई निर्णय नहीं हुआ है औप आपत्ति को जिस आधार पर निरस्त किया गया है वह आधार न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (हस्ताक्षर) सदस्य	

XXXIX(a)-BR (H)-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

न का दिनांक 11-11-14 विनष्टीकरण के लिये नियत दिनांक ....

व का दिनांक 9-3-15 अभिलेखागार क्रमांक ....

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R-3744-II-14

पीठासीन न्यायाधीश श्री [illegible]

पक्षकार

रामदयाल आदि विरुद्ध मुरारीलाल जोगा

ग्राम .... तहसील .... जिला मुरैना

अभिभाषक

श्री .... प्रार्थी श्री .... प्रतिप्रार्थी

वाद विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण वहां प्रस्तुत हुआ ....

अन्तिम आदेश का सार 9-3-14 (निराकृत

पूर्ववर्ती प्रकरणों का सन्दर्भ :

आयुक्त/अति. आयुक्त का प्र.क्र. ....

जिलाधीश/अनुविभागीय अधिकारी ....